26/2/2021	वकील फरीकैन उपस्थित। पत्रावली मे निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हम फीता दावा रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज)

पीठासीन अधिकारी देवेन्द्रसिह परमार आर.ए.एस

किस्म मुकदमा

धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.न. 02/2016

ता.रजू 24.02.2016

हरिकिशन पुत्र ठुकरी जाति जाटव निसासी मुरलीपुरा करौली तहसील व जिला करौली
—सायल

बनाम

1 रमेश पुत्र सुई हरिजन जाति हरिजन निवासी होली खिडखिडकिया करौली जिला करौली
2 अमरलाल पुत्र चिम्मन जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा तहसील व जिला करौली
3 रामकिशन पुत्र चिम्मन जाति जाटव निवासी मुरलीपुरा तहसील व जिला करौली
4 सोनवाई वेवा चिम्मन जाति जाटव निवासी मरलीपुरा तहसील व जिला करौली
5 रामदयाल पुत्र चिम्मन जाति जाटव निवासी मरलीपुरा तहसील व जिला करौली
6 श्रीमति ब्रहमावाई पत्नि रामकिशन जाति जाटव निवासी मरलीपुरा तहसील व जिला करौली
7 लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील व जिला करौली —गैरसायलान

निर्णय दिनांक 26.02.2021

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलान ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि सायल के पूर्वजो की संयुक्त खाते कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 7147 रकवा 2 वीघा 4 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का 10 मे स्थित है जो सायल के बाबा मुरली पुत्र टुण्डा के नाम चली आ रही है। जबकि गैरसायलान का उक्त भूमि से कोई ताल्लुक व सरोकार नही है गैरसायल नम्बर 1 ता 6 लठठ के बल पर उक्त जमीन पर कब्जा करने पर उतारू है जिसका उन्हे कोई हक हासिल नही है सजरा प्रार्थना पत्र मे दर्ज किया है सजरा से सायल ठकुरी के वारिस है। भूमि का नामान्तकरण सायल व गैरसायलान के नाम नही हुआ है। सायल उक्त भूमि का लीगल वारिस है। इस लिए सायल के हक मे इन्द्राज दुरूस्ती कर घोषणात्मक डिकी प्रदान करते हुये राजस्व रिकार्ड मे अमल कराया जावे। सायल गरीब परिवार का व्यक्ति है और गैरसायल सहजोर व लठठ वाले व्यक्ति है। जो सायल की भूमि पर जबरन कब्जा कर रहन वय पर उतारू है यदि गैरसायलान अपने मकसद मे कामयाव हो गये तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी सायल के खातेदारी अधिकारो का हनन होगा जिसकी पूर्ति जरे कीमत सम्भव नही है इस लिए सायल गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायलान द्वारा कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर दिनांक 23.02.2021 को जबाव प्रार्थना पत्र गैरसायल वन्द किया गया।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील सायल का बहस मे कथन है कि वादग्रस्त आराजी सायल के बाबा मुरली पुत्र टुण्डा के समय की है। सायल ठकुरी व मुरली का वैध वारिस है वादग्रस्त भूमि से गैरसायलान का कोई सम्बन्ध नही है गैरसायलान ताकत वर लठठ वाले व्यक्ति है। और सायल के खाते व कब्जे की पुश्तैनी भूमि पर कब्जा कर अनाधिकार रूप से रहन वय करने पर उतारू हो रहे है जिससे सायल के हक ... धात है सायल के अपूर्णीय क्षति व भारी असुविधा है इस लिए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:19 IST
Reason: SelfAttested

वकील गैरसायलान का बहस मे कथन है कि ... द्वारा कम्प्यूटर से प्राप्त जमाबन्दी प्रार्थना पत्र पेश की है सायल का ... से कोई सम्बन्ध नही है भूमि पर गैरसायलान काबिज काश्त है सायल ने गलत दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

बहस वकील उभय पक्ष का मनन किया गया । पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबदी शपथ पत्र सायल व सजरा का विवेचन कर अवलोकन किया गया। प्रस्तुत

Scanned with CamScanner

जमाबंदी सम्बत 2068 से 2071 मे मुरली पुत्र टुण्डा जाटव के खातेदारी मे दर्ज है। सजरा दर्ज प्रार्थना पत्र मे सायल ने अपने को पूर्वज मुरली का वारिस होना अपने को ठकुरी का पुत्र होना दर्ज किया है। जिसका कोई खण्डन गैरसायलान ने नही किया है गैरसायलान द्वारा कोई जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया ना कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। जिससे सायल का वादग्रस्त भूमि से सम्बन्ध नही हो एवं मुरली का वारिस नही हो प्रथम दृष्टया सायल द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व सजरा एवं शपथ पत्र से सायल के हक मे प्रतीत होता है। अपूर्णीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सायल के पक्ष मे प्रकट होती है। प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतःप्रार्थना पत्र सायल विरूद्व गैरसायलान स्वीकार किया जाता है गैरसायलान को ताफैसला वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि गैरसायलान सायल के खसरा नम्बर 7147 रकवा 2 वीधा 4 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 10 तहसील करौली मे कब्जे काश्त मे वाधा उत्पन्न नही करे एवं भूमि के राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.23 17:22:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner